एएसपीए ने उपभोक्ता और उद्योग आधारित कैंपेन मेक श्योर इंडिया का दायरा महाराष्ट्र तक बढ़ाया

पुणे, 26 अप्रैल 2016 ऑथेनटिसिकेशन सोल्यूशंस प्रोवाइडर्स असोसिएशन (एएसपीए) विश्व का पहला और स्वनियंत्रित संगठन है, जो वैश्विक रूप से प्रमाणीकरण समाधान उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एएसपीए ने आज उद्योग और उपभोक्ता आधारित मेक श्योर कैंपेन का विस्तार महाराष्ट्र तक करने की घोषणा की। इस कैंपेन से ब्रैंड ओनर्स को शिक्षित करने और उन्हें प्रमाणीकरण समाधान के लाभ और महत्व समझाने में मदद मिलेगी। इससे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकेगी । इनसे उपभोक्ताओं की जिंदगी की तो सुरक्षा होती ही है, ब्रैंड की प्रतिष्ठा को भी आघात नहीं पहुंचता और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। आज एएसपीए की सदस्य कंपनियां दुनिया भर में 10 हजार से ज्यादा ब्रैंड्स की सुरक्षा कर रही है।

इस मौके पर एएसपीए के महासचिव श्री अरुण अग्रवाल ने कहा कि आज मशहूर कंपनियों के ब्रैंड्स की नकल पर नकली सामान आ रहे हैं। यह दुष्प्रवृत्ति भारतीय उद्योगों, देश, समाज और उपभोक्ताओं को काफी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। उद्योग संगठन फिक्की के अनुसार मशहूर प्रॉडक्ट्स की नकल पर बने जाली सामान से भारत सरकार को वित्त वर्ष 2011-12 में 26,190 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, जो 2013-14 में बढ़कर 39,239 करोड़ हो गया। 2 साल में घाटे में 49.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

मशहूर ब्रैंड्स की नकल पर बनने वाले सामान पर लगाम लगाने के लिए हम गैर लाभकारी संगठन के तौर पर नई पीढ़ी के विश्व स्तरीय प्रभावी प्रमाणीकरण समाधान लाए हैं, जिससे उपभोक्ता, ब्रैंड ओनर्स और सरकारी अधिकारियों का सशक्तिकरण होता है और वह आसानी से नकली सामान की भीड़ में असली सामान पहचान सकते हैं। हम विभिन्न उत्पादों की प्रामाणिकता उपभोक्ताओं के मोबाइल ऐप, वेब एप्लिकेशन और एमएसएस से कर ब्रैंड और उपभोक्ताओं की दूरी घटाते हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि हम भारत सरकार की पहल और मेक इन इंडिया कैंपेन का स्वागत करते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है कि मेक

इन इंडिया लेबल के प्रॉडक्ट्स तब तक सुरक्षित रहें, जब तक ये उपभोक्ताओं के हाथों में नहीं पहुंच जाते। जागरूकता के अभाव में अनजान निर्दोष लोग ब्रैंडेड प्रॉडक्ट्स की कीमत पर नकली और घटिया सामान खरीदते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि नकली दवाइयां या नकली बेबी फूड खरीदने से न केवल स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती है, बल्कि जान भी जा सकती है। यह मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सबसे बड़े दुष्प्रभावों में से एक है।

इस समय कई सरकारी प्राधिकरण और ब्रैंड ओनर्स समाज के हित में इन प्रमाणीकरण समाधान को मुहैया करा रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत के 25 राज्योंमें हर साल करीब 2 हजार करोड़ सुरक्षा होलोग्राम (टैक्स स्टैंप) शराब की बोतलों पर लगाए जाते हैं। इससे न केवल जहरीली शराब से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिली है, बल्कि इससे आबकारी विभाग के राजस्व एकत्र करने की दर भी 15-20 फीसदी सालाना बढ़ गई है।

आईएचएमए, एशिया के डिप्टी डायरेक्टर श्री रोहित मिस्त्री ने कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई रिपोर्ट के आधार पर विश्व में मशहूर ब्रैंड्स की नकल पर नकली सामान बनाने का कारोबार 2013 में 461 अरब डॉलर तक फैल गया था। स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उत्पादों, जिसमें दवाइयां, बेबी केयर और स्किन केयर प्रॉडक्ट भी शामिल है, के मामले में यह खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है।

इंटरनैशनल पॉलिसी नेटवर्क की रिपोर्ट "कीपिंग इट रियल" के अनुसार मलेरिया और टीबी की नकली दवाइयों से हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ते हैं। प्रमाणीकरण समाधान उपभोक्ताओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे अपनाकर मशहूर ब्रैंड ओनर्स अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और जालसाजों को मार्केट से बाहर कर सकते हैं। यह एक धारणा बन चुकी है कि जालसाज और जाली सामान बनाने वाले निर्माता ब्रैंड्स के पीछे भागते हैं, जिसकी साधारण पैकेजिंग होती है।

औषधि विभाग में कई केस स्टडी हुई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रमाणीकरण समाधान को अपनाने से उत्पादों की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है और प्रॉडक्ट्स की बिक्री 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई है। इससे हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि प्रमाणीकरण समाधान को अपनाने से ब्रैंड्स के मालिक जालसाजों को बाजार से आउट कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जालसाज या

नकली प्रॉडक्ट बनाने और बेचने वाले ब्रैंड्स के पीछे भागते हैं, जिनकी पैकेजिंग काफी असुरक्षित होती है। अब ज्यादा से ज्यादा ब्रैंड अलग-अलग प्रमाणीकरण समाधानों को अपना रहे हैं जैसे अब ब्रैंड ओनर्स अपने प्रॉडक्ट के हर पैक, बोतल या इंजेक्शन की शीशी पर हाई सिक्युरिटी होलोग्राम लगाते हैं, जिस पर 2 डी या अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखे रहते हैं।

भारतीय उद्योगों में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन यह नकली प्रॉडक्ट्स या जालसाजी से बुरी तरह प्रभावित है। ब्रैंडेड प्रॉडक्ट्स की नकल पर नकली सामान से न केवल सरकार और ब्रैंड ओनर्स चिंतित है, बल्कि इससे उपभोक्ताओं की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है।

यह मामला इतना गंभीर है कि अगर जालसाजी पर रोक लगाने के तत्काल कदम न उठाए गए तो अगले 5 सालों में नकली सामान का मार्केट काफी तेजी से फलेगा-फूलेगा और इससे भारत सरकार, सभी संबंधित उद्योगों और उपभोक्ताओं को अच्छा-खासा नुकसान होगा, जिससे मेक इन इंडिया के तहत बने प्रॉडक्ट्स में उपभोक्ताओं का भरोसा डगमगा सकता है।

हमारा विश्वास है कि जालसाजी की बुराई को उभारने, फर्जी दस्तावेजों की पड़ताल करने और केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व की रक्षा करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे भारत के सभी नागरिकों को लाभ होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संलग्नक 1 में जाए

एएसपीए के बारे में

ऑथेनटिकेशन सोल्यूशंस प्रोवाइडर्स असोसिएशन (एएसपीए) प्रमाणीकरण समाधान मुहैया कराने वाली स्वनियंत्रित और गैर लाभकारी संस्था है। इसका गठन 1998 में किया गया था। संस्था के गठन का मकसद विभिन्न क्षेत्रों में नकली सामान के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना है। यह अपनी तरह की विश्व में इकलौती संस्था है, जिसका फोकस ब्रैंड, सरकार के रेवेन्यू और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए

प्रामाणिक तकनीक और समाधान मुहैया कराने पर है। यह प्रामाणिक समाधान मुहैया कराने वाली उद्योगों की सहायक संस्था है। एएसपीए अपने सदस्यों को जालसाजी रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय, मानक और नई तकनीक अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिस पर खर्च भी काफी कम आता है। एएसपीए के सदस्य असली प्रॉडक्ट्स और दस्तावेजों की पहचान से विश्व भर में 10 हजार ब्रैंड्स की सुरक्षा करते हैं। एएसपी कई अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण और संस्थाओं जैसे इंटरनैशनल होलोग्राम मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन (आईएचएमए), काउंटरफेट इंटेलिजेंस ब्यूरो (सीआईबी) और इंटरपोल के सहयोग से कार्य करता है। एएसपीए के सदस्य असली प्रॉडक्ट्स और दस्तावेजों की पहचान से विश्व भर में 10 हजार ब्रैंड्स की सुरक्षा करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.aspaglobal.com**पर जाएं।**

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

संजीव सिंह
पी आर मंत्रा
+919818430943
sanjiv@prmantra.com

सी. एस. जीना
सचिव, एएसपीए
+919818971116
info@aspaglobal.com

संलग्नक 1 : तत्काल संदर्भ के लिए

तालिका 1 : 2013-14 में भारतीय उद्योगों को नुकसान (करोड़ में)

इंडस्ट्री	**वित्त वर्ष 2013-14**	**वित्त वर्ष 2011-12**
एफएमसीजी पैकेटबंद सामान	21957	20378
एफएमसीजी पर्सनल गुड्स	19243	15035
मोबाइल	19066	9042
शराब	14140	5626
तंबाकू	13,130	8965
ऑटो पार्टस	10,501	9198
कंप्यूटर हार्डवेयर	7344	4725
कुल योग	1,05381	72969

तालिका 2-भारत सरकार को टैक्स और रेवेन्यू का नुकसान (करोड़ों में)

इंडस्ट्री	**वित्त वर्ष 2013-14 (ए)**	**वित्त वर्ष 2011-12 (बी)**	**बदलाव (ए-बी)**
एफएमसीजी	6096	5660	436

पैकेटबंद सामान

एफएमसीजी पर्सनल गुड्स	5953	4646	1307
मोबाइल फोन	6704	3174	3530
शराब	6309	2511	3798
तंबाकू	9139	6239	2900
ऑटो पार्ट्स	3113	2726	387
कंप्यूटर हार्डवेयर	1923	1234	689
कुल योग	39237	26190	13047

अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर समेत
स्त्रोत फिक्की कैसकेड रिपोर्ट